न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

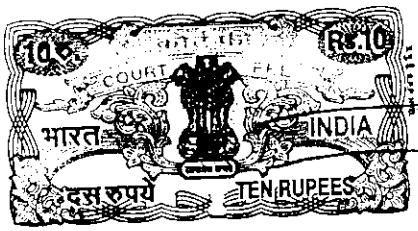

रिवीजन–1038/PBR/09

खारीज दिनांक 30.09.2010

रेस्टोरेशन-1915-PBR-14

दिनांक 28.6.14 को श्री सचिन चौहान आदि द्वारा प्रस्तुत।

28.6.14 A.S.O

गुलाब बाई पत्नी प्रेमनारायण शुक्ला (मृत)

1. कमल किशोर आ. प्रेमनारायण
2. मुकेश आ. प्रेमनारायण

   दोनों निवासी ग्राम हरपालपुर तह. सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद
3. सरलाबाई पुत्री प्रेम नारायण पत्नी जगदीश प्रसाद दुबे

   निवासी– जमुनिया तह. बाबई, जिला होशंगाबाद
4. राधाबाई पुत्री प्रेमनारायण पत्नी श्री शिव शंकर दुबे

   निवासी बानापुरा, तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद
5. ममताबाई पुत्री प्रेमनारायण पत्नी श्री बबलू दुबे
6. निवासी सेमरी हरचंद, तहसील सोहागपुर जिला होशंग..... आवेदकगण

<u>आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) म.प्र.भू.रा.संहिता</u>

<u>आवेदकगण की ओर से निवेदन है:–</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Resto. 1915–पीबीआर / 14 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
30–10–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30–9–2010 को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध आवेदकगण की ओर से पुर्नस्थापन आवेदन पत्र दिनांक 28–6–14 को लगभग साढ़े तीन वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि प्रकरण अभिलेख मंगाये जाने हेतु नियत था, और प्रकरण में आवेदकगण के अभिभाषक उपस्थित होते थे । प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त होने की सूचना आवेदकगण को नहीं दी गई है, जब वे दिनांक 28–5–14 को पटवारी से उनकी मां गुलाब बाई की मृत्यु होने के उपरांत फौती नामांतरण के लिए मिले तब उन्हैं आदेश की जानकारी हुई । अतः जानकारी के दिनांक से पुर्नस्थापन आवेदन पत्र समय–सीमा में प्रस्तुत किया गया है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का उक्त तर्क मान्य योग्य नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा यह नहीं बतलाया गया है कि गुलाब बाई की मृत्यु कब हुई और गुलाब बाई की मृत्यु के कितने समय पश्चात फौती नामांतरण हेतु पटवारी से सम्पर्क किया गया और न ही आवेदकगण की ओर से अवधि विधान की धारा 5 में दर्शाया गया है कि उनकी मां गुलाब बाई की मुत्यु किस दिनांक को हुई, और उनके द्वारा उनकी मां की मृत्यु के उपरांत कितने समय पश्चात फौती नामांतरण हेतु पटवारी से सम्पर्क किया गया । अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं माना जा सकता है । इस प्रकार यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य किया जाता है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	